

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-V
SITE INSPECTION REPORT FOR THE FOREST LAND TO BE DIVERTED UNDER FCAI

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare & endangered / unique species of flora/fauna found in the area, if, in the details there of. **NO**

तिथि :

हस्ताक्षर:

स्थान :

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

18- The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

19- It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.2 of chapter-1, Para C of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. The project is recommended subject to fulfillment of conditions like Provisional compensatory afforestation by fund or afforestation, demarcation, self developed forest for mark deposit and strictly adhere to FCA-1980

(Signature)

Place: **Kid Bangla, Uttar Kashi**

Date: **31-5-2014**

Name: **Dr. S. K. Singh**
Designation: **Joint Forest Officer**
Office Seal: **Uttar Kashi**


N.B. x. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted, (a) out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.


As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forest is required.

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत धरासू-चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत धरासू-चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया जाय। इसके अतिरिक्त मानचित्र में स्पष्ट संकेत सूची बनाकर मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी, जिलाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर कराये जाय।


मानचित्र संलग्न है।


1. मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु का निर्देशांक **N 30° 32' 57.92"**


E 78° 23' 20.70"

2. मार्ग के अन्तिम बिन्दु का निर्देशांक **N 30° 33' 38.70"**

E 78° 22' 57.91"


कनिष्ठ अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी







सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिकांसी अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


संस्कृत भाषा
 शिक्षण सामग्री
 कक्षा १०

संस्कृत भाषा
 शिक्षण सामग्री
 कक्षा १०

संकेत

१.	नाम नृप	
२.	संस्कृत भाषा नृप का नृप	
३.	भारतिया भाषा	
४.	भारत/भारत	
५.	राज्य	

[Handwritten signatures and marks]





परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत धरासू-चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

लागू नहीं है।


सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

FORM-I

(For linear projects)

Government of.....

No. 735

Dated. 4-12-2014

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.655 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Rural Road Development Authority for Road construction work in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Bagodi village in Chinyalisour tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.655 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s), and the District Level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised right of primitive Tribal group and pre-agricultural communities.

Encl.: As above

Signature

(Full name and official seal of the District collector)

List of connecting villages:

Sl. NO.	Name of Villages	Village Code	Population	SC	ST
1	Bagodi	58200	734		
	Total		734		

LAUOUT /KEY PLAN OF BAGODI MOTOR ROAD

30

Bagodi Gaon

CH-2/34

CH-6/93

DP-3

DP-2

CH-1/1

DP-1

CH-1/27

1- धरासू चिन्हालीसोड जोगव्य मोटरमार्ग

2- बगोडी मोटरमार्ग

3- मत्त डिस्पोजल स्थल



Shivani
J.B.

सहायक अभियन्ता

मिचार्ड खण्ड लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

अधिसासी अभियन्ता

मी०एम०जी०एस०वाई०सि०एच०
उत्तरकाशी

पुनरुज्जीव

→ TO JOGATH

→ बगोडी मोटरमार्ग

TO CHINMALISUR